बर्मा शैल तेल कम्पनी के कर्मचारियों को बोनस

211. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या श्रम, सेवानियोजन और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा शैल तेल कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के वार्षिक बोनस में कटौती कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इस संबंध में सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है ?

†[BONUS TO EMPLOYEES OP BURMAH SHELL OIL COMPANY

211. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Will the Minister of LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Burmah Shell Oil Company has cut down the annual bonus of its employees; and

(b) if so, what are the reasons therefor and what steps Government propose to take in this matter?]

श्रम, सेवानियोजन और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). बर्मा शैल आयल स्टोरेज एन्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया ने 1963 में अपने कर्मचारियों के साथ लम्बी अवधि का एक समझौता किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्था थी :—

(i) 1963, 1964 और 1965 वर्ष के लिए बोनस कर्मचारियों द्वारा अर्जित वास्तविक मूल मजूरी के 25 प्रतिशत के बराबर दिया जायगा ;

(ii) बोनस की अदायगी बोनस संबंधी वर्ष के बाद के फरवरी मास के अन्त तक की जायगी ।

मैनेजमेंट ने 1963 और 1964 वर्षों का बोनस समझौते के अनुसार अदा कर दिया। परन्तु उन्होंने 31 दिसम्बर, 1965 को सभी क्लर्कों और मजदूरों को एक नोटिस जारी किया कि बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने 1965 वर्ष के लिए कर्मचारियों की बोनस-हकदारी पर पुनर्विचार किया था । नोटिस में आगे लिखा था कि अधिनियम के अनुसार कम्पनी 1964 वर्ष के लिए मूल मजूरी और मंहगाई भत्ता का केवल 4 प्रतिशत देने की उत्तरदायी थी ; कर्मचारियों के साथ किया गया समझौता अधिनियम की धारा 34 (1) द्वारा रद्द हो गया है, 1964 वर्ष के बोनस के रूप में कर्मचारियों को दी गई अतिरिक्त राशि उनसे वसूल की जायगी और उन्हें 1965 वर्ष का बोनस अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार दिया जायेगा ।

2. यद्यपि इस सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार "उचित सरकार" नहीं है तो भी श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस मामले पर 15 फरवरी, 1966 को सम्बन्धित मैनेजमेंट और यूनियन के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया । यूनियन को सलाह दी गई कि वह बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 की धारा 34 (3) के अन्तर्गत मालिकों के साथ समझौता करने की कोशिश करे । सम्बन्धित पक्षों में बात-चीत जारी है ।

t[THE MINISTER OF LABOUR, EMPLOYMENT AND .REHABILITATION (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) and (b). The Burmah-Shell Oil Storage and Distributing Company of India had entered into a long-term settlement with their workmen in the year 1966, which *inter-alia* provided that—

(i) bonus will be paid .for the years 1963, 1964 and 1965 @ 25" per cent, of the annual basic wage* actually earned by the employees;

†[ ] English translation.

(ii) bonus wiH be paid by the end of February following the years to which the bonus relates.

The management paid bonus for the years 1963 and 1964 in terms of this settlement. However, on 31st December, 1965 they issued a notice to all the clerical and labour staff stating that in view of the Payment of Bonus Act, 1965, the Company had reviewed the bonus entitlement of the employees for the year 1965. The notice further •tated that the Company was liable to pay only 4 per cent of the basic wages and D.A. for the year 964 according to the Act, that the settlement arrived at with the workmen had been superseded by section 34(1) of the Act, that the excess amount paid as bonus for the year 1964 was recoverable from the employees and that they would be paid for the year 1965 in Accordance with the provisions of the Act.

2. Although the Central Government is not the "appropriate Government" under the industrial Disputes Act, 1947 in respect of this matter the. officers of the Ministry of Lab-nir aid Employment discussed it with the renresenta-tives of the management anti the Union concerned on 15th February 1966. The latter were advised to try to arrive at an agreement with the employers under section 34(3) of »b» Pavment of Bonus Act 1965. Negot^itions between the parties are now in progress.]

पंजाबी सूबे के प्रश्न के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल की उपसमिति

212. { श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री राम सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'पंजाबी सूबा' के प्रश्न पर विचार करने के लिये जो मंत्रिमंडल की उपसमिति बनाई गई थी क्या वह अब भी कायम है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं और उस की अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

† [CABINET SUB-COMMITTEE ON PUNJABI SUBA ISSUE

† SHRI ATAL BIHARI
212. VAJPAYEE:
SHRI RAM SINGH:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Cabinet Sub-Committee which was formed to consider the question of 'Punjabi Suba'y is still in existence; and

(b) if so, what are the names of its members and how many times it has met so far?]

गृह-कार्य मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) (क) और (ख). जैसा कि मैंने 23 सितम्बर, 1965 को संसद में बताया था, पंजाबी सूबे पर एक नई समिति बनाई गई थी । श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री वाई० बी० चह्वाण तथा श्री महाबीर त्यागी उसके सदस्य थे । इस प्रश्न से सम्बन्धित तथ्यों तथा सामग्री पर विचार करने के लिये इस समिति की दो बैठकें हुई । अब इस समिति का पुनर्गठन किया गया है और अब इसमें गृह मंत्री, श्रम मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री तथा परिवहन मंत्री हैं ।

+ [THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI GULZARILAL NANDA): (a) and (b). As 1 had mentioned m Parliament on 23rd September, 1965, a • Committee on Punjabi Suba was originally constituted with Shrimati Indira Gandhi, Shri Y. B. Chavan and Shri Mahavir Tyagi as members. It met twice to consider the facts and material relevant to the question. The Committee has since been reconstituted and now consists of the Home Minister, the Labour Minister, the Defence Minister and the . Transport Minister.]

† [ ] English translation.